फार्म - तैंतीस(अ)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-50(10) देखें]

[समायोजन आदेश व वाउचर]

डीलर / व्यक्ति का नाम जिसे समायोजन देय है																					
टिन												प्रभावी तिथि									

निम्न कारणों / आदेशों के फलस्वरूप, रू0---------- (धनराशि शब्दों में) करनिर्धारण वर्ष 20-.....20-..... के लिए देय है :-

(1) वर्ष 20.....-20..... के लिए करनिर्धारण प्रक्रिया के दौरान करनिर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक..... को रिफण्ड आदेश पारित किया गया है।

(2) वर्ष 20.....-20..... के लिए अपील की प्रक्रिया के दौरान प्रथम / द्वितीय अपील संख्या..... में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक..... को रिफण्ड आदेश पारित किया गया है।

(3) वर्ष 20.....-20..... के लिए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण / रिट की प्रक्रिया के दौरान पुनरीक्षण / रिट संख्या..... में दिनांक..... को रिफण्ड आदेश पारित किया गया है।

(4) व्यापारी द्वारा 20.....-20..... की अवधि के लिए जमा किये गये टैक्स रिटर्न में अधिक जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट के भुगतान का दावा किया गया है, और यह धनराशि व्यापारी को वापसी योग्य है।

व्यापारी के विरूद्ध निम्न प्रकार बकाया शेष है :-

क्र0सं0	वर्ष	अधिनियम	बकाया की प्रकृति	बकाया की राशि
1				
2				
--			योग	

यूपीवैट अध्यादेश, 2007 की धारा-40 के प्राविधानों के अंतर्गत उक्त वापसी योग्य राशि को बकाये के विरूद्ध समायोजित किया जाना है। अत: निम्न बकाया राशियों को निम्न वर्षों के लिए बकाये के सापेक्ष समायोजित किया जाता है :-

क्र0सं0	वर्ष	अधिनियम
1		
2		
--		

आदेश की मूल प्रति वर्ष ---------- की पत्रावली में रखी जाएगी एवं सत्यापित प्रतियां अन्य पत्रावलियों में रखी जाएंगी। आदेश की एक प्रति व्यापारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी।

दिनांक
मुहर

करनिर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर
करनिर्धारण अधिकारी का नाम व पदनाम